

श्रीमान् अंचलाधिकारी
कोडरमा अंचल ।

विषय :- भूमि निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रतिवेदन देने के संबंध में ।

K.C. Gupta
महाशय,
पुष्प

सविनय नम्र निवेदन है कि मैं शुभेश्वरी देवी


ग्राम असना पो अमरी तिलैया थाना तिलैया

जिला कोडरमा का निवासी हूँ मुझे निम्न वर्णित

भूमि का विक्री करना है :-

1. मौजा असना
2. थाना तिलैया
3. थाना न० 245
4. खाता न० 29
5. प्लॉट न० 1913
6. रकबा 32 बी०
7. भूमि का किस्म रूधरी
8. अधतन रसिद न० 0862377499
9. दा० खारिज वाद संख्या

अतः श्रीमान् से आग्रह है कि उक्त वर्णित भूमि के निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रमाण पत्र देने की कृपा करें इसके लिए मैं श्रीमान का सदा अभारी रहूँगा ।



विश्वासभाजन

निष्काम
शुभेश्वरी
देवी

a
navi

wari
1981

न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा

भूमि सत्यापन अभिलेख सं०.....274/2022

16.11.2022

आवेदिका भुनेश्वरी देवी पति स्व० नागेश्वर साव, साकिन-गणेश नगर काली मंदिर रोड़, वार्ड नं०-11, पोस्ट-झुमरी तिलैया, थाना-झुमरी तिलैया, जिला-कोडरमा द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है:-

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	किस्म
असना	245	29	1913	32 डी०	रैयती

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराए एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इस्तहार निर्गत करे।

अभिलेख दिनांक24/.....11...../2022 को प्रस्तुत करें।

अंचल अधिकारी,
कोडरमा

24.11.2022

अभिलेख उपस्थापित।

आम इस्तहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-असना, थाना नं०-245, खाता सं०-29, प्लॉट सं०- 1913, रकवा-32 डी० भूमि जयन्ती देवी पति छोटू साव के नाम से पंजी-II के पृष्ठ सं०-72 भाग सं०-4 पर जमाबन्दी दर्ज है। उक्त भूमि केवाला सं०-585 दिनांक-24.01.1958 द्वारा प्राप्त है। भूमि रैयती खाते की है। लगान रसीद वर्ष- 2021-22 तक निर्गत है। शपथ पत्र सं०-08 दिनांक-01.08.2022 (नोटिस पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है। मौजा-असना, थाना नं०-245, खाता सं०-29, प्लॉट सं०- 1913, रकवा-32 डी० भूमि निबंधन हेतु स्वीकृति दी जा सकती है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है कि मौजा-असना, थाना नं०-245, खाता सं०-29, प्लॉट सं०- 1913, रकवा-32 डी० भूमि निबंधन योग्य है। यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts 1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामांतरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय का सुरक्षित रखेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधि सम्मत निर्गम लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।

अंचल अधिकारी,
कोडरमा